पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय आयुक्त महोदय, उज्जैन सम्भाग उज्जैन म0प्र0

प्रकरण कमांक– /2017–18/अपील PBR/निगरानी/आगर मालवा/भू-रा/2018/2115

आवेदकगण

1 ::– महेन्द्रसिंह पिता सेवारामजी आंजना
निवासी ग्राम थडोदा तहसील आगर जिला आगर

2 ::– अविनाश पिता प्रेमचंदजी मित्तल
निवासी छावनी आगर तहसील आगर जिला आगर

विरूद्ध

अनावेदकगण

1 ::–सुभान खॉ पिता बालू खॉ

2 ::–जाकीर खॉ पिता मकबूल खॉ

3. ::–इरफान खॉ पिता मकबूल खॉ

4 ::–अप्पू खॉ पिता मकबूल खॉ

5 ::–रईस खॉ पिता मकबूल खॉ

समस्त जाति पिंजारा निवासीगण आगर तहसील आगर जिला आगर मालवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर बडौद जिला आगर मालवा द्वारा प्रकरण कमांक 53–अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2018 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

आवेदकगण द्वारा निम्न निगरानी प्रस्तुत हैं :–

::–तथ्य–::

1. यह कि, आवेदकगण ग्राम थडौदा तहसील व जिला आगर मालवा स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 1715/2 रकबा 0.44 आरे में से 0.22 आरे भूमि जिसका स्पष्ट विवरण एवं चर्तु:सीमा विकय पत्र दिनांक 15.11.2010 में हैं, के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं एवं आवेदकगण का भूमि पर आधिपत्य भी है। अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में बंटाकन की कार्यवाही की गई । उक्त आवेदन पत्र का कोई सूचना पत्र आवेदकगण को दिये बगैर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 22/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2017 को स्वीकार कर लिया गया । आवेदकगण को पटवारी महोदय के माध्यम से अभिलेख प्राप्त करने की जानकारी ली गई तब दिनांक 11.06.2017 को पटवारी महोदय द्वारा नक्षें में बंटाकन होना व्यक्त किया । आवेदकगण द्वारा दिनांक 12.06.2017 को नकल प्राप्त की जाकर समयावधि में जानकारी प्राप्त होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा धारा 5 अवधि विधान के अंतर्गत विलम्ब को क्षमा किय जाने की प्रार्थना की गई । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत हैं :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(05)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2018/2115

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	